संख्या-355/2026/I/1516555/2026/23-11099(099)/90/2024

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 06-11-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यो के सापेक्ष धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-25366/CE-HQ1/RY(MDOD)/ADY/2026-27, दिनांक 02-11-2026, पत्र संख्या-25420/CE-HQ1/RY (MDOD)/GKP/2026-27, दिनांक 04-11-2026, पत्र संख्या-25423/CE-HQ1/RY(MDOD)/MIR/2026-27, दिनांक 04-11-2026, पत्र संख्या-25426/CE-HQ1/RY (MDOD)/GON/2026-27, दिनांक 04-11-2026, पत्र संख्या-25462/CE-HQ1/RY(MDOD)/GON/2026-27, दिनांक 04-11-2026, पत्र संख्या-25466/CE-HQ1/RY(MDOD)/MIR/2026-27, दिनांक 04-11-2026 एवं पत्र संख्या-25470/CE-HQ1/RY(MDOD)/LKO/2026-27, दिनांक 04-11-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य/प्रमुख, अन्य जिला मार्गो के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 10 चालू कार्यो पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 7191.01 लाख (रूपये इकहत्तर करोड़ इक्यानबे लाख एक हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/अनुरक्षण/ अनुरक्षण उपरान्त की लागत/ बचत/ बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि की फांट		
					अनु0 सं0-58	अनु0 सं0-83	योग
1	सुल्तानपुर प्रा0ख0	जनपद सुल्तानपुर में मोतिगरपुर-दोस्तपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.00 से 16.200 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4128.80 4012.20 86.20 3926.00 59.39 3866.61	1825.76	1066.27	287.04	1353.31
2	गोरखपुर नि0ख0-3	जनपद गोरखपुर में सरैया वास स्थान मार्ग (लम्बाई 13.800 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3832.92 3832.92 Nil 3832.92 394.23 3438.69	1066.58	787.90	212.10	1000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	गोरखपुर नि0ख0-3	जनपद गोरखपुर में रूस्तमपुर से आजाद चौक, बगहा बाबा मन्दिर होते हुए मलौली बन्धा तक मार्ग का 02 लेन विद् पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 2.700 कि0मी0)।	2034.01 2034.01 Nil 2034.01 193.24 1840.77	520.51	393.95	106.05	500.00
4	मिर्जापुर नि0ख0-2	जनपद मीरजापुर में बेलहरा मोड़ से रामपुर ठाकुर दयाल मार्ग (अ0जि0मा0) कि0मी0 1 से 12 तक (लम्बाई 12.00 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1872.85 1872.85 Nil 1872.85 95.21 1777.64	4.00	472.74	127.26	600.00
5	बलरामपुर प्रा0ख0	जनपद बलरामपुर में कोड़री-मथुरा-चौधरीडीह मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से चैनेज 16.000 तक (लम्बाई 16.000 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4611.23 4399.08 85.01 4314.07 504.08 3809.99	3022.97	313.21	84.31	397.52
6	गोण्डा नि0ख0-2	जनपद गोण्डा में इटियाथोक श्रीनगर मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 21.00 कि0मी0)।	7263.87 7263.87 Nil 7263.87 1051.61 6212.26	3987.57	630.32	169.68	800.00
7	मिर्जापुर प्रा0ख0	जनपद मिर्जापुर में रमई पट्टी कनौराघाट बेलवन सिन्धौरा मार्ग के चैनेज 0.00 से 17.400 तक का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 15.060 किमी0)	3212.02 3212.02 Nil 3212.02 59.04 3152.98	842.40	196.98	53.02	250.00
8	सोनभद्र नि0ख0-2	जनपद सोनभद्र की विधान सभा राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत विण्ढ़मगंज कोन नकतवार होते हुए झारखण्ड प्रदेश सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 21.850 कि0मी0)।	5742.14 5742.14 Nil 5742.14 20.00 5722.14	3859.75	1016.53	273.65	1290.18
9	खीरी नि0ख0-3	जनपद लखीमपुर में लखीमपुर-देवकाली-अलीगंज मार्ग से कोरार दाऊदपुर अषाढ़ी मेंहदी मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 1 से कि0मी0 13 (800) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 12.800 कि0मी0) कार्य।	3388.45 3385.67 65.36 3320.31 609.24 2711.07	1327.69	551.53	148.47	700.00
10	खीरी प्रा0ख0	जनपद लखीमपुर में रेहरिया से सुन्दर पुरवाया पड़सर मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 15 से 30 (500) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 15.50 कि0मी0)।	2916.76 2897.89 64.19 2833.70 641.92 2191.78	1143.17	236.37	63.63	300.00
		योग:-			**5665.80**	**1525.21**	**7191.01**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो की स्वीकृत लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान आबंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त कार्य केवल अनुमोदित/पुनरीक्षित सीमा तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार ही सम्पन्न किया जाय। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी कार्यान्वयन इकाई की होगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रू0 56,65,80,000 (रूपये छप्पन करोड़ पैसठ लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371323 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 15,25,21,000 (रूपये पन्द्रह करोड़ पच्चीस लाख इक्कसी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891300 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।